(2010) 10 एस.सी.आर. 561

हरि वंश लाल

बनाम

सहोदर प्रसाद महतो तथा अन्य

(सिविल अपील सं0 7165 वर्ष 2010)

अगस्त 30, 2010

(पी. सदाशिवम तथा डॉ० बी0एस0 चौहान, न्यायमूर्तिगण)

लोक हित मुकदमा:

राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति - इस आधार पर चुनौती दिया गया कि नियुक्ति मनमाना है तथा अपीलार्थी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है तथा वह 90 वर्ष की उम्र का होने के नाते कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ नही है - उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार तथा विद्युत बोर्ड का आधार यह था कि अपीलार्थी ने बोर्ड में उत्कृष्ट सेवा दिया था तथा सम्मान प्राप्त किया था- उच्च न्यायालय ने नियुक्ति को न केवल मनमाना बल्कि तिरस्कारपूर्ण भी ठहराया - नियुक्ति का अभिखण्डन करते हुए, उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री को नोट पर भरोसा किया जिसमे कहा गया था कि अपीलार्थी को पहले निलम्बित किया गया था तथा छापा भी मारा गया था तथा यह कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है - अपील पर अभिनिर्धारित: मुख्य सचिव की ओर से इस प्रकार के नोट को तैयार करना अनुचित था - इसके लिए, अपीलार्थी ने किसी विभाग द्वारा छापा मारने का खण्डन करते हुए शपथ पत्र पर शपथ लिया गया था - अपीलार्थी केे निलम्बन के आदेश के सम्बन्ध में, सरकार की कार्यवाहियों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि स्वयं राज्य सरकार ने दण्ड वापस लिया था - अपीलार्थी की नियुक्ति कानूनी नियमो के विरूद्व नही था- तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए उम्र सीमा विहित नही थी - इस प्रकार की परिस्थितियों में इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था, इसके समक्ष प्रस्तुत कार्यवाहियों के अभिलेख के विरूद्ध था तथा इसलिए अपास्त किये जाने योग्य हैं -अपीलार्थी बोर्ड के अध्यक्ष केे रूप में बने रहने का हकदार है - सेवाविधि - विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948- धारा 5 (5) -विहार राज्य विद्युत बोर्ड नियमावली 1960 - नियम- 4 सेवा मामलो में लो0हि0मु0 की पोषणीयता- अभिनिर्धारित: अधिकार पृच्छा रिट के अलावा, सेवा मामलो में लो0हि0मु0 पोषणीय नही है - सेवाविधि - रिट

रिट:

अधिकार पृच्छा की रिट- अभिनिर्धारित: केवल तभी ग्राह्य होता है जब नियुक्ति कानूनी प्रावधान के प्रतिकूल होता है - सेवा विधि

प्रशासनिक विधि:

प्रशासनिक प्राधिकारीः पद पर नियुक्ति - पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अन्यथा नियुक्त प्राधिकारी का कार्य है न्यायालय का नही जब तक नियुक्ति कानूनी प्रावधानो/नियमों के प्रतिकूल न हो - सेवाविधि

अभिवाक्:

आधार मे परिवर्तन- राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथा उच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं द्वारा लिये गये आभार से भिन्न आधार ले रहा है- अभिनिर्धारित: परिस्थितियों में किसी बदलाव के अभाव में राज्य के लिए भिन्न विचार लेना अननुज्ञेय है।

प्रत्यर्थी सं0 1, जो स्वयं को विद्युत श्रमिक नेता होने का दावा करता है, ने इस आधार पर अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में अपीलार्थी के नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लोकहित मुकदमा दाखिल किया था कि अपीलार्थी जिसकी उम्र लगभग 90 वर्ष है संदिग्ध सत्यनिष्ठा का व्यक्ति है तथा बतौर अध्यक्ष इसकी नियुक्ति नियमो तथा प्रक्रिया का पालन किये बिना है। बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा आपूर्ति मे कमी के संबंध में तथा अपने उम्र के कारण अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यो का पालन करने में अपीलार्थी की अक्षमता के संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध रिट याचिका मे कई अभिकथनो को किया गया था। अपीलार्थी को सेवा से हटाने के लिए अनुरोध किया गया था। सभी प्रकथनों का खण्डन करते हुए राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र इस आशय का था कि अपीलार्थी ने बोर्ड में उत्कृष्ट सेवा दिया था तथा सम्मान प्राप्त किया था तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के नियुक्ति हेतु आयु सीमा विहित नही थी तथा अपीलार्थी की नियुक्ति सतर्कता निर्वाधन प्राप्त करने के बाद की गई थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे अपीलार्थी की नियुक्ति न केवल मनमाना था बल्कि तिरस्कारपूर्ण भी था। नियुक्ति का अभिखण्डन करते हुए, उच्च न्यायालय ने मुख्य मंत्री को संबोधित मुख्य सचिव के पूर्ववर्ती नोट पर भरोसा किया था जिसमे इसने इस आधार पर अपीलाथी के नियुक्ति के संबंध में आक्षेप किया था कि अपीलार्थी को पहले निलम्बित किया गया था तथा छापा भी मारा गया था तथा यह कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी। उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील दाखिल करते हुए चुनौती दिया गया है।

अपील अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के विश्लेषण से, निम्न सिद्धान्त प्रकट होता है (क) अधिकार पृच्छा रिट के अलावा, लोकहित मुकदमा सेवा मामलो मे पोषणीय नही है (ख) अधिकार पृच्छा रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को मनवाना पड़ता है कि नियुक्ति कानूनी प्रावधान के प्रतिकूल है (ग) सरकारी सेवा में पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के उपयुक्तता या अन्यथा पर विचार करना नियुक्ति प्राधिकारी का कार्य है न कि न्यायालय का जब तक नियुक्ति कानूनी प्रावधानों/नियमों के प्रतिकूल न हो। (पैरा 20) (58-सी-ई.)

मैसूर राज्य तथा एक अन्य बनाम सैयद महमूद तथा अन्य (1968) 3 एससीआर 363; स्टेट्समैन (प्राइवेट) लि0 बनाम एच0 आर0 देव तथा अन्य (1968) 3 एससीआर 614; भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बनाम मोहम्मद मैनुद्दीन (1987) 4 एससीसी 486; मैसूर राज्य तथा एक अन्य बनाम सैयद महमूद तथा अन्य (1968) 3 एससीआर 363- भरोसा किया गया।

1.2 वर्तमान मामले में, इसका गम्भीरतापूर्वक खण्डन नही किया गया है कि विवाद्य मामला सेवा मामला नही है। इसके अलावा इस आक्षेप को उच्च न्यायालय के समक्ष नही उठाया गया था। दूसरी दृष्टि से भी, इस तथ्य के दृष्टिगत कि अपीलार्थी को आरम्भ में नियुक्त किया गया था तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 5 (4) के अनुसार सदस्य के रूप में राज्य विद्युत बोर्ड में सेवा किया था तथा उप धारा (4) मे विनिर्दिष्ट अर्हताओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने सर्तकता विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किया गया था, इसलिए, यह दावा करना अननुज्ञेय है कि विवाद्यक को सेवा विधिशास्त्र के अन्तर्गत उठाया नही जा सकता है। व्यक्ति जो लोकहित मुकदमा द्वारा उच्च न्यायालय गया था प्रतिस्पर्धा या बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में विचार किये जाने के लिए पात्र नही है लेकिन, इसके अनुसार, यह विद्युत श्रमिक नेता हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय मे इसने कोई सामग्री प्रस्तुत नही किया था या बल दिया था कि किस तरह से वह इस पद के लिए उपयुक्त तथा पात्र था (पैरा 6) (572-जी.एच. 573-ए-सी)

डॉ० दुर्योधन साहू तथा अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा तथा अन्य (1998) 7 एससीसी 273; अशोक कुमार पाण्डेय बनाम पं0 बं0 राज्य (2004) 3 एससीसी 349; डा0 बी0 सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य (2004) 3 एससीसी 363; दत्ताराज नाथू जी अवरे बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 1 एससीसी 490; गुरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य (2005) 5 एससीसी 136; गुजरात उच्च न्यायालय तथा एक अन्य बनाम गुजरात

किसान मजदूर पंचायत तथा अन्य (2003) 4 एससीसी 712; मोर मार्डन कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सोसायटी लि0 बनाम वित्त आयुक्त एवं सचिव हरियाणा राज्य तथा एक अन्य (2002) 6 एससीसी 269; बी. श्री निवास रेड्डी बनाम कर्नाटक शहरी जलापूर्ति एवं अपवहन बोर्ड कर्मचारी संघ तथा अन्य (2006) 11 एससीसी 731 - भरोसा किया।

2.1 जहाँ तक पूर्ववर्ती रिट याचिका मे मुख्य सचिव के नोट के संदर्भ का संबंध है जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नही था, मुख्य सचिव की ओर से यह आशय का मुख्यमंत्री के लिए नोट तैयार करना अनुचित था कि संभवतः अपीलार्थी के सेवा अवधि के दौरान, इसे निलम्बित किया गया था तथा छापा भी मारा गया था। इसके लिए, अपीलार्थी ने किसी विभाग द्वारा छापा मारने का खण्डन करते हुए शपथ पत्र पर शपथ लिया था। जहाँ तक अपीलार्थी के निलम्बन के आदेश का संबंध है, सरकार की कार्यवाही दिनंाक 21.11.1975 से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि स्वयं राज्य सरकार ने दण्ड वापस लिया था। उक्त आदेश को राज्यपाल के नाम में पारित किया गया था। इस प्रकार की परिस्थिति में, इस संबंध मे उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण, इसके समक्ष पेश कार्यवाहियों के अभिलेख के विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। (पैरा 17) (578-एच, 579-ए-बी; 580-डी-ई)

ई0पी0 रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य तथा एक अन्य (1974) 4 एससीसी 3 - भरोसा किया गया।

2.2. विलक्षण यह है कि, राज्य सरकार जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपीलार्थी के अर्हता, सेवा तथा अंतिम नियुक्ति का प्रतिवाद किया था, इस न्यायालय के समक्ष अपना आधार बदला था तथा उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया था। राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत बोर्ड ने अपीलार्थी के सराहनीय अर्हता पर बल देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अलग विस्तृत प्रति शपथ पत्रों को दाखिल किया था। यद्यपि स्वयं अपीलार्थी ने रिट याची द्वारा किये गये सभी अभिकथनों का खण्डन करते हुए तथा राज्य सरकार में और विशेष रूप से विद्युत बोर्ड में इसके अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर बल देते हुए विस्तृत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया था, राज्य सरकार तथा विद्युत बोर्ड द्वारा प्रशंसा तथाा विनिर्दिष्ट आधार के आलोक में इसका खण्डन करने की आवश्यकता नही थी। उपर्युक्त के दृष्टिगत, परिस्थिति के किसी बदलाव के अभाव मे भिन्न विचार लेना राज्य के लिए अननुज्ञेय है। वास्तव में, राज्य इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के समक्ष प्राख्यान किये गये के अतिरिक्त अपने आधार को बदलने के लिए अवगत कराने मे असमर्थ है। तद्नुसार राज्य सरकार का आधार जो उच्च न्यायालय के समक्ष इनके प्राख्यान के प्रतिकूल है नामंजूर किया जाता है। (पैरा 20, 21, 24) (582-एफ. जी-एच, 583-ए, 585-एस-जी; 586-ए)

बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार (2000) 8 एससीसी 395- भरोसा किया गया।

3. यद्यपि, लो0हि0मु0 में, रिट याची ने अपीलार्थी की उम्र को 90 के रूप में उल्लिखित किया था, यह तथ्यात्मक रूप से गलत था तथा स्वयं अपीलार्थी ने शपथ पत्र पर शपथ लिया था तथा प्राख्यान किया था तथा राज्य द्वारा इसका खण्डन नही किया गया है कि वह तिथि को 84 वर्ष की उम्र का है तथा इसके अनुसार, यह भला चंगा तथा स्वस्थ है। यह किसी व्यक्ति का मामला नही था कि इसकी नियुक्ति किसी कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल था। वास्तव में, यह बताया गया कि इसकी नियुक्ति अधिनियम तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड नियमावली 1960 के प्रावधानों के अनुसार था। यद्यपि वह उस तिथि तक अध्यक्ष के रूप मे बना रहा जब इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया था 01.05.2009 को इसके बने रहने का भी निदेश दिया था, तथ्य यह है कि वह बने नही रह सकता था तथा राज्य सरकार ने एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया था। यह बताना सुसंगत है कि वर्तमान पदधारी से संबंधित नियुक्ति आदेश में, राज्य सरकार ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इसकी नियुक्ति अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील के परिणाम के अधीन है। इन सभी सुसंगत कारको तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सर्व सम्मति से अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु नियावली में कोई उम्र सीमा विहित नही है तथा अर्हता के बारे में राज्य सरकार के आधार तथा अपीलार्थी द्वारा दिये गये अच्छी सेवा के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय के आदेश के अभिखण्डन की दशा में इसे विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को इसके नियुक्ति आदेश के अनुसार तत्काल पद भार सभाँलने तथा राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष केे पद पर इसका बने रहना सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन है, फिर भी, यह अधिनियम की धारा 5 (5) तथा नियमावली के नियम-4 के अनुसार होगा। (पैरा 25, 26) (587-जी-एच; 588-ए-एफ)

निर्णयज विधि संदर्भ:-

(1998) 7 एससीसी	273	भरोसा किया गया	पैरा- 7
(2004) 3 एससीसी	349	भरोसा किया गया	पैरा-8
(2004) 3 एससीसी	363	भरोसा किया गया	पैरा-9
(2005) 1 एससीसी	590	भरोसा किया गया	पैरा-9
(2005) 5 एससीसी	136	भरोसा किया गया	पैरा-9
(2003) 4 एससीसी	712	भरोसा किया गया	पैरा-10
(2002) 6 एससीसी	269	भरोसा किया गया	पैरा-11
(2006) 11 एससीसी	731	भरोसा किया गया	पैरा-12
(1968) 3 एससीआर	363	भरोसा किया गया	पैरा-13

(1968) 3	एससीआर	614	भरोसा किया गया	पैरा-14
(1987) 4	एससीसी	486	भरोसा किया गया	पैरा-15
(1968) 3	एससीआर	363	भरोसा किया गया	पैरा-15
(1974) 4	एससीसी	3	भरोसा किया गया	पैरा-18
(2000) 8	एससीसी	395	भरोसा किया गया	पैरा-25

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 7165 वर्ष 2010

रि0 या0 (लो0हि0मु0) सं0 5067 वर्ष 2008 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 27.04.2009 से पक्षकारों के लिए उपस्थित होते हुए पी0 पी0 राव, के0के0 राय, मनीष कुमार सरण, पाण्डेय नीरज राय, आलोक कुमार, हरि प्रिया, प्रेरणा कुमारी, पुरूषोत्तम एस0टी0, साम प्रीति फूकन, फिलजा मूनिस, कृष्णानंद पाण्डेय, एस0 के0 पाण्डेय, प्रशांत कुमार, मेरूसागर सामंतरे, मोहित कुमार शाहँ, गोपाल प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय

पी0 सदाशिवम् न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति मंजूरी की जाती है।

2. यह अपील रिट याचिका (लो0हि0मु0) सं0 5067 वर्ष 2008 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 27.04.2009 के विरूद्ध निदेशित है तथा जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमे सहोदर प्रसाद महतो, प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा दाखिल लोकहित मुकदमा को अनुज्ञात किया था तथा झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इसमें अपीलार्थी हरिवंश लाल के नियुक्ति को अभिखंडित किया था तथा राज्य सरकार को इसमे अपीलार्थी के स्थान पर बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नये सिरे से नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिया था।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(क) सहोदर प्रसाद महतो, इसमे प्रत्यर्थी सं0 1, जो स्वयं को विद्युत श्रमिक नेता के रूप में होने का दावा करता है, इस आधार पर अध्यक्ष झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप मे बोर्ड) के रूप में इसमे अपीलार्थी (उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 5) श्री हरिवंश लाल के नियुक्ति को चुनौती देते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं0 5067 वर्ष 2008 दाखिल किया था कि बोर्ड का गठन मनमाना तरीके से किया गया है तथा वह संदिग्ध सत्यनिष्ठा का व्यक्ति है, उम्र लगभग 90 वर्ष है, नियमों या प्रक्रिया का पालन किये बिना अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किया गया है। वर्तमान रिट याचिका को दाखिल करने के पहले भी उक्त महतो तथा इसके साथी सिदेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यो के रूप में भ्रष्ट व्यक्तियों को नियुक्त न करने के सामान्य निदेश की मांग करते हुए लोकहित

मुकदमा दाखिल किया था। रिट याची के अनुसार, इसमे प्रत्यर्थी सं0 5 के विरूद्ध कई अभिकथनो का परोक्ष संकेतो को किया गया है जिसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किया गया था तथा इस अवधि के दौरान बिजली के उत्पादन पारेषण तथा आपूर्ति मे कमी आई थी। इन्होंने यह भी अभिकथित किया कि श्री हरिवंश लाल जो वर्ष 1976 मे बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, इसके उम्र पर विचार करते हुए, वह अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यो का पालन करने की स्थिति में नही है। इन्होने यह भी तर्क दिया कि आयु तथा ज्ञान की कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अद्यतन विकसित प्रौद्योगिकी के कारण, लोकहित मुकदमे द्वारा इसके पद से हटाये जाने हेतु समुचित निदेश का अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकार, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड तथा अपीलाथी, जो इसमेे प्रत्यर्थी सं0 5 था ने विशेष रूप से सभी प्रकथनों का खण्डन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया था। दूसरी तरफ, बोर्ड ने बल दिया है कि श्री लाल ने बोर्ड मे उत्कृष्ट सेवा दिया था, सम्मान प्राप्त किया था तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के नियुक्ति हेतु कोई उम्र सीमा विहित नही है। इसी तरह, राज्य सरकार ने अपने प्रति शपथ पत्र में, दोहराया था कि श्री लाल के पास विद्युत के क्षेत्र में सभी अपेक्षित तकनीकी अर्हता है। वह अपने नाम में कई भारतीय तथा विदेशी डिग्रीयाँ रखता था। सभी नियुक्तियाँ सतर्कता निर्वाधन प्राप्त करने के बाद की गई थी। श्री लाल के मामले मे भी, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इसके नियुक्ति के पहले सतर्कता निर्वाधन प्राप्त किया था। पृथक प्रति शपथ पत्र में, हरिवंश लाल ने बिजली के क्षेत्र में अपने योग्यता, अनुभव तथा विशेषता का पूरा विवरण परिगणित किया था। यह भी कहा गया है कि तत्कालीन झारखण्ड के मुख्यमंत्री ने कई अभ्यर्थीयों के योग्यता पर विचार करने के बाद वर्ष 2004 में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री लाल के नियुक्ति का आदेश दिया था तथा 2005 तक जारी था जब इसने राजनैतिक अस्थिरता के दौरान पद से अपना त्याग पत्र दिया था। इसने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम-1948 तथा बिहार विद्युत बोर्ड नियमावली 1960 जो झारखण्ड राज्य के संबंध में लागू है से अध्यक्ष के पद के नियुक्ति से संबंधित सुसंगत प्रावधानों पर भी बल दिया था।

(ग) प्रतिद्वन्द्वी तर्को का परिशीलन करने के बाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने यह धारित करने के बाद कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इसमे प्रत्यर्थी सं0 5 की नियुक्ति न केवल मनमाना है बल्कि तिरस्कारपूर्ण है तथा अंततोगत्वा इसके नियुक्ति को अभिखंडित किया था। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा अपीलार्थी हरिवंश लाल द्वारा चुनौती दिया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी0 पी0 राव, प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार तथा राज्य सरकार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के0 के0 राय का सुना।

कानूनी प्रावधान:

5. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1998 (एतस्मिन्पश्चात ''अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) का अध्याय'' राज्य विद्युत बोर्ड, उत्पादन कंपनीयो, राज्य विद्युत सलाहकार परिषद तथा स्थानीय परामर्शदायी समितियों के गठन तथा संरचना से संबंधित है। अन्य प्रावधानों में हम धारा 2 (2) तथा 5 के बारे में सबंद्ध है जो इस प्रकार पठित है:-

''2. (2) बोर्ड धारा 5 के अधीन गठित राज्य विद्युत अभिप्रेत है।

''5. राज्य विद्युत बोर्ड का गठन तथा संरचना- (3) राज्य सरकार यथाशीघ्र धारा 1 के उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार के नाम से राज्य विद्युत बोर्ड का गठन करेगा जैसा अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) बोर्ड मे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन से अन्यून तथा सात से अनधिक सदस्य शामिल होगे।

(4) सदस्यो के बारे मे -

(क) एक सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसके पास वाणिज्यिक मामलों तथा प्रशासन मे अनुभव है तथा क्षमता प्रदर्शित किया है।

(ख) एक व्यापक अनुभव वाला विद्युत अभियन्ता होगा तथा

(ग) एक वह व्यक्ति होगा जिसके पास जनोपयोगी उपक्रम अधिमानतः विद्युत प्रदाय उपक्रम में लेखा तथा वित्तीय मामलो का अनुभव है।

(5) उप धारा (4) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं मे किन्ही अर्हता को रखने वाले सदस्यों मे एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(6) एक व्यक्ति नियुक्ति किये जाने या बोर्ड का सदस्य होने से अनर्ह होगा यदि वह संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है।

(7) बोर्ड द्वारा किये गये किसी कार्य पर आपत्ति किसी रिक्ति के अस्तित्व मे होने या बोर्ड के गठन मे किसी त्रुटि के होने के आधार पर नही की जायेगी।''

अधिनियम की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, बिहार के राज्यपाल ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड नियमावली 1960 विरचित किया था। नियम 2 (5) तथा (4) जो सुसंगत है, इस प्रकार पठित हैः

"2 (5) अध्यक्ष धारा 5 की उपधारा (5) के अन्तर्गत नियुक्ति बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।''

''4. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा अध्यक्ष तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों की सेवा शर्ते तथा पदावधि, पारिश्रमिक, भत्ते - (पद्ध इस प्रकार के निदेशो के अधीन जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाय तथा इस प्रकार का प्रत्यायोजन जैसा इस निर्मित्त बोर्ड द्वारा किया जाय, अध्यक्ष दैनिक प्रशासन के लिए तथा बोर्ड के निदेशो तथा निर्णयों को समुचित तरीके से कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह उस विस्तार तक जहाँ तक राज्य सरकार का संबंध है अधिनियम के प्रयोग से उद्भूत मामलो मे राज्य सरकार तथा बोर्ड के बीच संपर्क के रूप में कार्य करेगा।

(ii) अध्यक्ष, अपने तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों के बीच पैदा हुए नीति के मामलो पर किसी मतभेद को राज्य सरकार के जानकारी मे ला सकता है। वह इसी प्रकार नीति के अन्य मामलो्रं को भी राज्य सरकार को भेजा सकता है तथा राज्य सरकार से प्राप्त निदेशों को बोर्ड द्वारा विचारार्थ तथा कार्यवाही हेतु पेश कर सकता है।

(iii) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यगण पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगे तथा अपने पदावधि के समाप्ति के बाद इस प्रकार के शर्तो के अधीन पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र होगे जैसा राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निदेश दे।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए राज्य विद्युत बोर्ड का गठन करने के लिए सशक्त किया गया है। धारा 5 की उपधारा (4) के अनुसार सदस्यों मे एक सदस्य जिसके पास अर्हता है राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने योग्य है। नियम 4 (3) के अनुसार अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यगण पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगे। उक्त नियम यह भी स्पष्ट करता है कि पदावधि के समाप्त होेने के बाद यदि ये पुर्न नियुक्ति हेतु पात्र है, राज्य सरकार को उन व्यक्तियों को इस प्रकार के शर्तो पर नियुक्त करने के लिए सशक्त किया गया है। यह विवादित नही है कि अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए उम्र सीमा विहित नही है।

सेवा मामलों में लो0 हि0 मु0:

6. अधिकार पृच्छा रिट के सिवाय सेवा मामलो में लोकहित मुकदमा के पोषणीयता के बारे में, अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तो को अधिकथित करते हुए इस न्यायालय के श्रृंखलाबद्ध निर्णय है। यह गम्भीरतापूर्वक तर्क नही दिया गया है कि विवाद्य मामला सेवा मामला नही है। वास्तव में, इस प्रकार के आक्षेप को उच्च न्यायालय के समक्ष

उठाया नही गया था। दूसरे ढंग से भी, इस तथ्य के दृष्टिगत कि इसके अपीलाथी को आरम्भ में धारा 5 (4) के अनुसार सदस्य के रूप में राज्य विद्युत बोर्ड में नियुक्त किया गया था तथा काम किया था तथा बोर्ड के सदस्यों में से उपधारा (4) मे विनिर्दिष्ट अर्हताओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, यह दावा करना अननुज्ञेय है कि विवाद्यक को सेवा विधि विधि शास्त्र के अधीन उठाया नही जा सकता है। हमने पहले ही बताया है कि व्यक्ति जो उच्च न्यायालय लोकहित मुकदमा द्वारा गया था प्रतिस्पर्धी नही है या बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में विचार किये जाने के योग्य नही है लेकिन इसके अनुसार वह विद्युत श्रमिक नेता है। उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय में, इसने किसी सामग्री को पेश नही किया हैं या बल दिया है कि किस तरह से वह उस पद के उपयुक्त तथा योग्य है।

7. डा0 दुर्योधन साहूँ तथा अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा तथा अन्य (1998) 7 एससीसी 273 में, इस न्यायालय के तीन जजो की पीठ ने अभिनिर्धारित किया ‘‘यदि वाहरी व्यक्तियों के कहने पर लोकहित मुकदमा को अधिकरण द्वारा विचार किये जाने की अनुमति दी जाती है, सेवा मामलों के शीघ्र निपटारे का असली उद्देश्य विफल हो जायेगा’’ पैरा 21 मे इस न्यायालय ने निम्नवत दोहराया था।

> ‘‘21. परिणाम स्वरूप, हम पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक मे देते है तथा धारित करते है कि अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रशासनिक अधिकरण सम्पूर्ण बाहरी व्यक्ति के कहने पर लोकहित मुकदमें पर विचार नही कर सकता है।’’

8. अशोक कुमार पाण्डेय बनाम पं0 वं0 राज्य (2004) 3 एससीसी 349 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> ‘‘16. जैसा ऊपर उल्लिखित है, उन याचिकाओं को छांटने का समय आ गया है जिसका शीर्षक यद्यपि लोकहित मुकदमे के रूप मे है मूलतः कुछ और है। यह उल्लेख करना आश्चर्यजनक है कि न्यायालयो में बड़ी संख्या में तथाकथित लोकहित मुकदमो की बाढ़ आ गई है जहाँ बहुत छोटे प्रतिशत को तर्क संगत तरीके से लोकहित मुकदमा कहा जा सकता है। यद्यपि लोकहित मुकदमे के मानको को इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलो में बताया गया है, फिर भी वास्तविक आशयों तथा उद्देश्यों की परवाह किये बिना न्यायालय इस प्रकार के याचिकाओं पर विचार कर रहे है तथा बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद कर रहे है जिसका उपयोग जैसा ऊपर उल्लिखित है, अन्यथा असली मामलो के निपटारे हेतु किया जा सकता है। यद्यपि दुर्योधन साहूँ (डा0) बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा मे इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवा मामलों मे लो0हि00मु0 पर विचार नही किया जाना चाहिए, तथाकथित

लो0हि0मु0 का अन्तर्वाह जिसमे सेवा मामले अन्र्तवलित है, लगातार न्यायालयो मे अक्षुण्ण है तथा आश्चर्यजनक रूप से विचार किये जाते है। उच्च न्यायालय जिस कम से कम कर सकता है उक्त निर्णय के आधार पर इन्हें अस्वीकार करे। अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि लो0 हि0 मु0 में, सरकारी दस्तावेजो को यह बताये बिना ही संलग्न किया जा रहा है कि कैसे याची के पास यह सब आया था। एक मामले में, यह उल्लेख किया गया था कि इसके रखे जाने के संबंध में दिलचस्प उत्तर दिया गया था। यह कहा गया था कि पैकेट सड़क पर पड़ा था तथा जब जिज्ञासावश याची ने इसे खोला था, इसने सरकारी दस्तावेजो की प्रतियाँ पाया था। जब कभी रखे जाने को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के तुच्छ अभिवाको को लिया जाता है, न्यायालयो को न केवल याचिकाओं को खारिज करने के लिए बल्कि निवारक खर्चो को अधिरोपित करने के लिए भी ठीक करना चाहिए। तुच्छ याचिकाओ को छानना तथा इसे खर्चो के साथ जैसा पहले बताया गया है खारिज करना न्यायालयो के लिए वांछनीय होगा जिससे सही दिशा में संदेश जाये कि परोक्ष हेतु दाखिल याचिकाओ को न्यायालयों का अनुमोदन न मिले।''

9. उपर्युक्त सिद्धांतो को पश्चातवर्षो निर्णयों अर्थात् डा0 बी0 सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य (2004) 3 एससीसी 363, दत्ता राज नाथू जी थावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 1 एससीसी 590 तथा गुरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य (2005) 5 एससीसी 136 मे दोहराया गया है।

उपरोक्त सिद्धांतो से यह स्पष्ट है कि अधिकार पृच्छा रिट के अलावा, सेवा मामलो में लोकहित मुकदमा पोषणीय नही होता है।

अधिकार पृच्छा रिट

10. अधिकार पृच्छा रिट केवल तभी ग्राह्य होता है जब नियुक्ति कानूनी प्रावधान के विरूद्ध होता है। गुजरात उच्च न्यायालय तथा एक अन्य बनाम गुजरात किसान मजदूर पंचायत तथा अन्य (2003) 4 एससीसी 712 (तीन जजो की पीठ) मे बहुमत के विचार से सहमत होते हुए माननीय एस0बी0 सिन्हा न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया:

''22. इस प्रकृति के मामले में अपने रिट अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा आरम्भ में यह अवधारित करना आवश्यक होता है कि क्या उत्प्रेषण रिट या अधिकार पृच्छा रिट जारी करने के लिए मामला बन रहा है। अधिकार पृच्छा रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता सीमित अधिकारिता है। इस प्रकार का रिट जारी करते समय, न्यायालय मात्र सार्वजनिक घोषणा करता है लेकिन अभ्यर्थीयो के अपने-अपने समाघात या अन्य कारको पर विचार नही करेगा जो उत्प्रेक्षण रिट

जारी करने के लिए सुसंगत हो सकता है। (देखिए आर0 के0 जैन बनाम भारत संघ 2 एससीसी पैरा 74)

23. अधिकार पृच्छा रिट केवल तभी जारी किया जा सकता है जब नियुक्ति कानूनी नियमों के विरूद्ध होता है। (देखिए मोर मार्डन कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सोसायटी लि0 बनाम वित्त आयुक्त एवं सचिव हरियाणा राज्य)''

11. मोर मार्डन कोआपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सोसायटी लि0 बनाम वित्त आयुक्त तथा सचिव हरियाणा राज्य तथा एक अन्य (2002) 6 एससीसी 269 मे, पैरा 11 में निम्न निष्कर्ष सुसंगत है।

''11. .....उच्च न्यायालय ने इस आशय के किसी प्रकथन के अभाव में अपने रिट अधिकारिता का प्रयोग नही किया था कि पूर्वोक्त अधिकारियों ने अपने अधिकार का दुरूपयोग किया था तथा अपीलार्थीगण के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीके से काम किया था। हमारे विचार मे उच्च न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के सदस्यगण के रूप में संबंधित अधिकारियों केे नियुक्ति के संबंध में चुनौती पर विचार करना चाहिए था। मात्र तथ्य कि इन लोगो ने अपीलार्थी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीके से कार्य नही किया था इनके नियुक्ति को वैधता नही दे सकता है, यदि अन्यथा, नियुक्ति आज्ञापक प्रकृति के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में है। इसलिए हमारे लिए कानूनी प्रावधान के उल्लंघन मे कथित तौर पर जारी आक्षेपित अधिसूचना के वैधता पर विचार करना आवश्यक हो गया है।''

12. बी श्रीनिवास रेड्डी बनाम कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति तथा अपवहन बोर्ड कर्मचारी संघ तथा अन्य (2006) 11 एससीसी 731 मे इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

''49. विधि सुस्थापित है। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकृति के मामले में अपने रिट अधिकारिता के प्रयोग में आरम्भ मे यह अवधारित करना आवश्यक होता हे कि क्या अधिकार पृच्छा रिट जारी करने के लिए मामला बन रहा है। अधिकार पृच्छा रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता एक सीमित अधिकारिता है जिसे केवल तब जारी किया जा सकता है जब नियुक्ति कानूनी नियमों के विरूद्व होता है।''

उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अधिकार पृच्छा रिट जारी करने के लिए भी उच्च न्यायालय को समाधान करना पड़ता है कि नियुक्ति कानूनी नियमों के विरूद्व है। अपने निर्णय के बाद वाल भाग में, हम विवेचना करेगे कि कैसे इसमे अपीलार्थी पर अध्यक्ष के रूप

में विचार किया गया था तथा नियुक्त किया गया था तथा क्या इसने सुसंगत कानूनी प्रावधानो को पूरा किया था।

नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता

13. मैसूर राज्य तथा एक अन्य बनाम सैयद महमूद तथा अन्य (1968) 3 एससीसी 363 त्र एआईआर 1968 एससी 1113 मे, यह अभिनिर्धारित किया गया था उपयुक्तता या अन्यथा, नियुक्ति प्राधिकारी सर्वोत्तम व्यक्ति होता है तथा न्यायालय प्रोन्नति हेतु इसके दावे पर विचार करने के लिए प्रथमतः प्राधिकारी/सरकार को अवसर दिये बिना निश्चयात्मक रिट जारी नही कर सकता है।

14. उपर्युक्त विचार को स्टेट्समैन (प्राइवेट) लि0 बनाम एच0आर0 देव तथा अन्य (1968) 3 एससीआर 614 त्र एआईआर 1968 एससी 1495 मे दोहराया गया है।

15. भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बनाम मोहम्मद मोइनुद्दीन (1987) 4 एससीसी 486 मे, मैसूर राज्य तथा एक अन्य बनाम सैयद महमूद तथा अन्य (1968) 3 एससीआर 363 मे इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख करने के बाद अभिनिर्धारित किया:

> '' ..... उपरोक्त निर्णय का विनिश्चयाधार यह है कि जहां राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी कर्मचारी को ऊचे पद पर प्रोन्नत करने के लिए बाध्य होता हैं जिसे एक मात्र राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी के चयन द्वारा भरा जाना चाहिए इस प्रश्न पर विचार करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि क्या कर्मचारी प्रोन्नत किये जाने का हकदार है तथा यह कि न्यायालय को सामान्यतया अधिकारी को सीधे प्रोन्नत करने के लिए सरकार या कानूनी प्राधिकारी को रिट जारी नही करना चाहिए। उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त समान रूप से वर्तमान मामले में लागू होता है।''

उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी का काम है न कि न्यायालय का जब तक कि नियुक्ति कानूनी प्रावधानों/नियमों के विरूद्ध नही होता है।

उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा की गई सामग्रीयाँ

16. उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किये गये सामग्रीयों पर विचार करने के पहले, सीडब्लूजेसी सं0 924 वर्ष 2001 का उल्लेख करना सुसंगत है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल किया गया था कि एक मात्र निर्दोष सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को बोर्ड का सदस्य बनाया जाय। उच्च न्यायालय ने यह धारित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया था कि की गई कोई नियुक्तियाँ रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। श्री राजीव रंजन तथा श्री सच्चिदानंद अखौरी को क्रमशः बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्त

किया गया था। इसमे अपीलार्थी उच्च रिट याचिका के पक्षकार नही था। आदेश दिनंाक 21.09.2001 द्वारा, उच्च न्यायालय न उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात किया था तथा श्री राजीव रंजन तथा अन्य के नियुक्ति को अपास्त किया था। वर्तमान मामले के निर्णय मे कतिपय पहलू सुसंगत है। श्री राजीव रंजन तथा अन्य के नियुक्ति के पूर्ववर्ती तथ्यों की विवेचना करते हुए यह तथ्य है कि इसमे अपीलार्थी को आरम्भ में मुख्यमंत्री द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के पद हेतु चुना गया था की विवेचना की गई थी तथा तथ्य कि राज्य के मुख्य सचिव ने अपने आक्षेपो में उल्लेख किया था कि संभवतः इसमे अपीलार्थी को पहले निलंबित किया गया था जब वह सरकारी सेवा में तथा छापा मारा गया था उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में उल्लेख किया गया था। फिर भी उच्च न्यायालय ने निर्णय के अंत में यह पर्याप्त तरीके से स्पष्ट किया कि अपीलार्थी तथा अन्य के संबंध में इसके संप्रेक्षण का अर्थ उन सप्रेक्षणों के विशुद्धता के संबध में राय के रूप में नही लगाया जाना चाहिए। यह बताना सुसंगत है कि पुनर्विलोकन याचिकाओं को झारखण्ड राज्य तथा सच्चिदानंद अखौरी द्वारा दाखिल किया गया था जो बोर्ड में नियुक्त व्यक्तियों में एक था तथा जिसके नियुक्ति को भी अभिखंडित किया गया था। आदेश दिनांक 04.04.2002 द्वारा उच्च न्यायालय मुख्यतया इस आधार पर दोनो पुनर्विलोकन याचिकाओं को अनुज्ञात किया था श्री राजीव रंजन तथा श्री सच्चिानंद जिनके नियुक्तियों को अभिखंडित किया गया था रिट कार्यवाहियों मे पक्षकार नही थे तथा इनके नियुक्ति को अपास्त करने के पहले इन्हे सुना जाना चाहिए था। जब श्री एच0 बी0 लाल ने मूल निर्णय में अपने विरूद्व किये गये कतिपय संप्रेक्षणों के दृष्टिगत पुनर्विलोकन याचिका मे पक्षकार बनाये जाने का आवेदन दाखिल किया था, उच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया था कि इसके विरूद्व प्रतिकूल आदेश पारित नही किया गया था तथा प्रतिकूल संप्रेक्षण नही किया गया था तथा यह कि निर्णय इसके विरूद्व प्रतिकूलतः या प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए क्रियाशील नही होता है।

17. श्री राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया है कि उच्च न्यायालय ने इस गलत धारणा पर नियुक्ति का अभिखण्डन करने मे त्रुटि किया था कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, इसे निलंबित किया गया था तथा छापा भी मारा गया था। पैरा 14 मे, उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव के नोट को निकाला हैं। हम निम्न परिच्छेद से संबंद्ध हैं जिस पर उच्च न्यायालय ने अधिक भरोसा दिया।

> ‘‘ ..... हमे विगत सेवा के दौरान श्री हरि वंश लाल के छवि के संबंध में जानकारी नही है, लेकिन संभवतः अपने सेवा अवधि के दौरान इसे निलम्बित किया गया था तथा छापा भी मारा गया था। यह सूचना प्राप्त करना उचित है कि इन संबंधित मामलो में अंततः क्या हुआ था -

हस्ताक्षर
(विजय शंकर दूबे)
(बल दिया गया)

सर्वप्रथम, मुख्य सचिव की ओर से मुख्यमंत्री के लिए इसलिए इस तरीके से नोट तैयार करना अनुचित है कि संभवतः इसके सेवा अवधि के दौरान इसे निलम्बित किया गया था तथा छाप भी मारा गया था .....'' इसके लिए अपीलार्थी ने किसी विभाग द्वारा छापे का खण्डन करते हुए शपथ पत्र में शपथ लिया है जैसा उल्लिखित है तथा इस दावे को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष अन्य सामग्री पेश नही किया गया था। जहाँ तक अपीलार्थी के निलम्बन के आदेश को संबध है, सरकार की कार्यवाही दिनंाक 21.11.1975 से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि स्वयं राज्य सरकार ने दण्ड वापस लिया था। राज्य सरकार के सम्पूर्ण कार्यवाही का निर्दिष्ट करना उपयोगी है।

संकल्प सं0 114 पटना, दिनांक 21.11.1975

चूंकि श्री हरवंश लाल (जो स्थायी अधिकारी, विद्युत विभाग, बिहार सरकार है तथा वर्तमान मे पूरनिया मे बतौर विद्युत अधीक्षण अभियंता पदस्थ है) ने संकल्प सं0 1962 दिनंाक 13.08.75 के द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन दिया है।

चूँकि इसके अभ्यावेदन पर तथा बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त राय पर तथा केविनट (सतर्कता) विभाग से सिफारिशो पर विचार करने के बाद, इसे आरोप सं0 4 के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी नही पाया गया है।

इसलिए सरकार ने विभागीय संकल्प सं0 1962 दिनांक 13.08.75 के द्वारा इसे दिये गये दण्ड को उठाने का निर्णय लिया है।

आदेश:- यह आदेशित किया जाता है कि सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री हरि वंश लाल तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संकल्प की प्रति अग्रेषित की जाय।

(बल दिया गया)
विहार के राज्यपाल के आदेश से
हस्ताक्षर
इन्द्रदेव झा
अपर सचिव सरकार
विद्युत विभाग

मेमो सं0 116/ दिनांक, पटना 21.11.1975 ई0

प्रति:

(क) अपर सचिव, विद्युत विभाग, पटना

(ख) अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना

(ग) श्री एच0बी0 लाल, विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, पूरनिया मंडल

विभागीय मेमो 1962 दिनांक 13.08.75 के अनुसरण मे मामले को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर/- इन्द्रदेव झा
अपर सचिव सरकार
विद्युत विभाग

उपरोक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि निलम्बन के एक दण्ड को भी राज्य सरकार द्वारा नियमित आदेश दिनंाक 21.11.1975 द्वारा वापस लिया गया था। उक्त आदेश राज्यपाल के नाम मे पारित किया जाना था। इस प्रकार की परिस्थिति में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण, इसके समक्ष पेश कार्यवाहियो के अभिलेख के विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

18. ई. पी, रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य तथा एक अन्य (1974) 4 एससीसी 3 मे इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय को निर्दिष्ट करना अत्यधिक उपयोगी है। तथ्य यह है कि याची भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य था। 11 जुलाई 1969 को इसे एक वर्ष के लिए मुख्य सचिव के ग्रेड में अस्थायी रूप से सृजित अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्य करने के लिए तैनात किया गया था। 13 नवम्बर 1969 को, इसे मुख्य सचिव के रूप मे कार्य करने के लिए तैनात किया गया था। 7 अप्रैल 1971 को इसे सरकार के मुख्य सचिव के ग्रेड में एक वर्ष के अवधि के लिए अस्थायी रूप से सृजित राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याची छुट्टी पर गया था तथा अवकाश से वापस आने के बाद भी इसने उक्त पद पर कार्यभार नही सभाला था। आदेश दिनांक जून 27, 1972 द्वारा सरकार ने सरकार के मुख्य सचिव के ग्रेड मे एक वर्ष के लिए अधिकारी विशेष ड्यूटी के एक दूसरे अस्थायी पद को सृजित किया था तथा याची को उक्त पद पर स्थानान्तरित किया गया था लेकिन इसने पदभार नही सभाला था तथा जुलाई 1972 मे याची ने आदेश दिनांक 27 जून 1972 को वापस लेने तथा रद्द करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेशित करते हुए परमादेश रिट या कोई रिट, निदेश या आदेश की माँग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका दाखिल किया था।

19. विभिन्न विवाद्यको पर विचार करने के बाद, संविधान पीठ ने राज्य मे सबसे बड़े पद अर्थात् मुख्य सचिव हेतु व्यक्ति की नियुक्ति करने मे मुख्य मंत्री के अंतिम निर्णय तथा मुख्य सचिव के भूमिका के बारे मे बल दिया था, जो निम्नवत पठित है;

> ''87. इन प्रश्नो के संबंध मे अपने दृष्टिकोण के अवधारण मे दो महत्वपूर्ण विचारो को हमे प्रभावित करना चाहिए। पहला मुख्य सचिव का पद अत्यधिक संवेदनशील पद है। यह अत्यधिक विश्वास का पद है - प्रशासन मे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है - तथा प्रशासन के निर्बाध कार्य करने हेतु आवश्यक है कि मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री के बीच पूरा संपर्क तथा तालमेल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है प्रशासन का अंतिम भार साधक होता है तथा यह वही है जो सरकार के उपलब्धियों तथा विफलताओ के लिए लोगो के प्रति राजनैतिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसलिए, यदि किसी वैध कारण पर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का विश्वास खो देता है, मुख्यमंत्री विधि सम्मत तरीके से प्रशासन के व्यापक हित मे मुख्य सचिव को एक दूसरे पर स्थानान्तरित कर सकता है परन्तु वास्तव मे इसके किसी वैध या संवैधानिक अधिकारो का उल्लंघन शामिल नही होता है। इस प्रकार के मामले में कोई प्रश्न नही हो सकता है कि कौन सही है तथा कौन गलत है। इस प्रकार के मामले मे अपने पद से मुख्य सचिव का स्थानान्तरण मनमाना नही होगा तथा अनुच्छेद 14 तथा 16 के निषेध को आकृष्ट नही करेगा। फिर भी, यह बताया जा सकता है कि इस प्रकार की कार्यवाही, मेरा मानना है सामान्यतया अत्यधिक अप्रतिरोध्य कारणो के अतिरिक्त नही माना जायेगा, क्योकि, यदि समुचित औचित्य के बिना आश्रय लिया जाता है, यह लोक सेवा के बारे मे राजनैतिक तटस्थता को प्रभावित करने के लिए अग्रसर होगा तथा लोक सेवको मे नैतिक पतन तथा कुण्ठा का कारण बनेगा।''

यदि हम उपर्युक्त सिद्धान्तो को अपीलार्थी के संबंध मे लागू करते है, जिसकी नियुक्ति मानदण्डो को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की गई थी, सेवा मे इसके सत्यनिष्ठा तथा अक्षमता के बारे में पर्याप्त सामग्री के बिना अकारण उक्त नियुक्ति मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है।

20. विवेचना तथा विश्लेषण से, निम्न सिद्धान्त प्रकट होता है:-

(क) अधिकार पृच्छा रिट के अलावा, सेवा मामलो मे लो0हि0मु0 पोषणीय नही होता है।

(ख) अधिकार पृच्छा रिट जारी करने के लिए, उच्च न्यायालय को आश्वस्त करना पड़ता है कि नियुक्ति कानूनी नियमो के विरूद्ध है।

(ग) सरकारी सेवा मे पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी का कार्य है न कि न्यायालय का जब तक कि नियुक्ति कानूनो

प्रावधानो/नियमो के प्रतिकूल न हो। विलक्षण तरीके से, लेकिन दुर्भाग्य से, राज्य सरकार जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे श्री लाल (इसमे अपीलार्थी) के अर्हता, सेवा तथा अंतिम नियुक्ति का प्रतिवाद किया था, स्वयं को सर्वोत्तम ज्ञात कारणो पर इस न्यायालय के समक्ष अपना आधार बदला था तथा उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया था।

21. अब, उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के आधार पर बल देना आवश्यक है। राज्य ने पृथक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। राज्य सरकार, राज्य बिजली बोर्ड तथा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे इसमे अपीलार्थी ने पृथक विस्तृत प्रति शपथ पत्रो को दाखिल किया है। झारखण्ड राज्य की ओर से दाखिल प्रतिशपथ दिनांक 27.11.2008 (उपाबंध पी-12) मे निम्न निष्कर्ष अपीलार्थी के सराहनीय योग्यता तथा इसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त करने मे सरकार के अंतिम निर्णय के बारे मे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है:

‘‘4. यह कि रिट याची द्वारा दाखिल लोकहित मुकदमा पूर्णतया भ्रामक है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि यह कहा गया है तथा निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं0 5 के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ तथा विद्युत के क्षेत्र में विशाल अनुभव है। इसके पास इसके नाम मे कई भारतीय तथा विदेशी डिग्रीयाँ है। प्रत्यर्थी सं0 5 बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय (बी0एच0यू0) से विद्युत तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मे बी0एससी तथा इलिनोइस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, शिकागो (सं0 रा0 अमेरिका) से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग मे एम0एस0सी0 है। प्रत्यर्थी सं0 5 को टीजीपीयू, ओपेनडी (नीदर लैण्ड) द्वारा डी0एससी पुरस्कार दिया गया था। इसे लगभग 35 वर्षो का बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण मे अनुभव है। इसे डेढ़ वर्षो के लिए यू0के0 मे कोलंवोन छात्रवृत्ति से भी पुरस्कृत किया गया था तथा वह 2 वर्षो तक सं0 रा0 अमेरिका मे स्नातक छात्र था जहाँ इसने विद्युत शक्ति प्रणाली अभियांत्रिकी से संबंधित अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण तथा अध्ययन एवं कार्य दिया था।

8. यह कि यह कहा गया है तथा निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं0 5 ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपारेशन (एनएचपीसी) के कंसल्टेन्ट के रूप में कार्यकाल पूरा किया था। प्रत्यर्थी सं0 5 के रिज्यूम के परिशीलन मात्र से यह प्रदर्शित होता है कि वह झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण करने के लिए हर प्रकार से पूर्णतया सक्षम तथा योग्य है।

10. यह कि रिट याचिका के पैरा 1 मे किये गये अनुरोध के संबंध मे कि सभी नियुक्तियाँ विद्युत बोर्ड मे केवल सतर्कता निर्वाधन प्राप्त करने के बाद की जानी चाहिए यह कहा गया है कि उक्त निर्वाधन को सम्यक् प्राप्त किया गया था तथा प्रत्यर्थी सं0 5 के नियुक्ति का मामला बिहार सरकार के पत्र सं0 5532 दिनांक 06.10.2001 द्वारा था।

11. यह कि रिट आवेदन के पैरा 1 मे किया गया कथन अनुतोष हे जैसा याची द्वारा माँगा गया है। रिट याचिका के पैरा 1 (क) तथा (ख) के संबंध में यह कहा गया है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन मे मनमाना पन नही है। अध्यक्ष (प्रत्यर्थी सं0 5) को पहले सम्यक् सतर्कता निर्वाधन प्राप्त करने के बाद नियुक्त किया गया था। इसकी उम्र ने इसे अपने कर्तव्यो का पालन करने तथा कार्य करने से नही रोका है जैसा इससे अपेक्षित है। वह बिजली के क्षेत्र में विशाल जानकारी तथा अनुभव रखता है जैसा वर्तमान शपथ पत्र के उपाबंध-ए से स्पष्ट है।

22. निलम्बन या छापा मारने के संबंध मे दूसरे अनुपूरक प्रति शपथ पत्र मे, निम्न उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार का आधार है।

> ‘‘ यह कि उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण ने फिर भी कहा है कि प्रत्यर्थी स0 5 के विरूद्ध निलंबन या छापा मारने के संबंध में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पटना मे कोई अभिलेख उपलब्ध नही है।’’

23. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से, बोर्ड के विधि अधिकारी ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है। इसमे अपीलार्थी के बारे मे निम्न जानकारी सुसंगत है।

> ‘‘5. यह कि यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं0 5 अपने सेवा के सफल पूरा होने के बाद तकनीकी सदस्य के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गया था। प्रत्यर्थी सं0 5 ने बोर्ड मे अपनी उत्कृष्ट सेवा दिया है तथा निरन्तर अपने कार्यकाल मे सराहना प्राप्त किया है तथा प्रत्यर्थी सं0 5 के उत्कृष्ट कार्य पर विचार करते हुए इसे सम्पूर्ण पेंशन तथा अपने पूरे अन्य सेवानिवृत्ति लाभो को प्राप्त करने की अनुमति दी गई है जिसे केवल सतर्कता निर्वाधन के बाद स्वीकृत किया गया है।
>
> 7 (क) प्रश्न द्वारा प्रतिपादित विधि का प्रश्न यह है कि क्या 90 वर्ष से अधिक के उम्र वाले व्यक्ति को राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण करने की अनुमति दी जा सकती है े गलत सूचना पर आधारित है। जैसा ऊपर कहा गया है, पहले भी विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 मे बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप मे नियुक्ति के लिए कोई ऊपरी उम्र सीमा विहित नही किया गया था। यहां यह आगे

उल्लेख करना सुसंगत है कि प्रत्यर्थी सं0 5 90 वर्ष की उम्र का नही है वह 1985 मे सेवानिवृत्त हुआ था।

12. यह कि वर्तमान लो0हि0मु0 के पैरा 15 मे किये गये कथनो के संबंध में, यह कहा गया है कि यह विवादित है तथा इसलिए खण्डन किया जाता है। आगे यह कहाँ गया है कि अध्यक्ष विद्युत बोर्ड के रूप में प्रत्यर्थी सं0 5 के कार्यकाल की संक्षिप्त अवधि अर्थात् 8-9 माह, 18 अक्टूबर 2004 से 27 जुलाई 2005 तक के दौरान राज्य मे बिजली की दशा मे सुधार आया था। इसके अलावा, उक्त सुधार में प्रत्यर्थी सं0 5 ने विद्युत आपूर्ति तथा ग्रामीण विद्युतीकरण क्रियान्वयन करने वाली विभिन्न स्कीमो मे वृद्धि हेतु कई कदम उठाया था।

24. यद्यपि स्वयं अपीलार्थी ने रिट याची द्वारा किये गये सभी अभिकथनो का खण्डन करते हुए विस्तृत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है तथा राज्य सरकार मे विशेष रूप से बिजली बोर्ड मे अपने अर्हताओ तथा उपलब्धियो पर बल दिया था, राज्य सरकार तथा विद्युत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट आधार तथा सराहना के आलोक मे इसका खण्डन करने की आवश्यकता नही है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम धारित करते है कि परिस्थिति के किसी बदलाव के अभाव मे भिन्न विचार लेना राज्य सरकार के लिए अननुज्ञेय है। वास्तव मे, पीठ से कई प्रश्नो के बावजूद श्री के0 के राय जिन्होने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है उच्च न्यायालय के समक्ष प्राख्यान दिये गये आधार से अलग अपने आधार को बदलने के लिए इस न्यायालय को अवगत कराने मे असमर्थ है। वह सत्ता मे बैठे व्यक्तियो तथा सरकार के बदलाव के सिवाय इस प्रकार का आधार लेने के लिए किसी अप्रतिरोध्य परिस्थिति को पेश करने की स्थिति मे नही है। तद्नुसार, हम वर्तमान आधार को नामंजूर करते है जो उच्च न्यायालय के समक्ष इनके प्राख्यान के विरूद्ध है। इन सभी कारणो पर उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

25. अब, हमे अपने निष्कर्ष के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा उपयुक्त अनुतोष या हकदारी पर विचार करना है। श्री पी0 पी0 राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार तथा अन्य (2000) 8 एससीसी 395 मे इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान खीचते हुए निवेदन किया है कि यदि यह न्यायालय अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करता है, यह निश्चयात्मक परमादेश जारी करने तथा इसे राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे बने रहने की अनुमति देने का हकदार है। संप्रकाशित निर्णय मे, अपीलार्थी के आधार को स्वीकार करते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये अयुक्तियुक्त आधार को नामंजूर करते हुए, इस न्यायालय ने निम्न निदेश जारी किया था।

‘‘ 90. उपरोक्त नजीरो के आलोक मे, हमने विचार किया है कि क्या यह उपयुक्त मामला है जहाँ इस न्यायालय को परमादेश जारी करना चाहिए या मामला राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए। मामले के तथ्यो मे गंम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद, हमारी राय है कि बिन्दु सं0 1 से 5 पर अपने निष्कर्षो तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा अपीलार्थी के साथ लगातार किये गये अनुचित व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए - केन्द्र सरकार द्वारा भी अपने टिप्पणी मे स्वीकार किया गया हैं - यह उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त मामला हैं जहाँ परमादेश को जारी करना आवश्यक है। इसलिए हम न्याय देने तथा आगे की कार्यवाही को संक्षिप्त करने के लिए इस न्यायालय के सभी शक्तियो का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। उक्त प्रोन्नति हेतु अपीलार्थी के मामले का विचार अनिश्चित रहा है तथा विगत पच्चीस वर्षो से ऊपर नीचे हो रहा है। विलम्ब से घृणा उत्पन्न होने पर, अपीलार्थी ने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। बिन्दु सं0 1 से 5 पर अपने निर्णय के आलोक मे, हम चैथे मामले मे परिनिन्दा को शून्य तथा अधिकारिता के बिना घोषित करते है तथा दूसरी तरफ, वेडनेसवरी सिद्धांतों के अन्तर्गत अभिखंडित किये जाने योग्य है। 1972 के पहले विगत वर्षो की प्रतिकूल टिप्पणी ने इनके सभी दंश को समाप्त कर दिया है। अपीलार्थी के पक्ष में सकारात्मक कारक दोनो लेखबद्ध है (केन्द्र सरकार के बाध्यता पर) तथा अन्य जिसके संबंध में हमने पहले विचारणीय के रूप में निर्दिष्ट किया है, हमारी राय मे, इन्हे अतिकाल वेतनमान पर प्रोन्नति हेतु हकदार बनाने के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी का मामला, हमारे विचार मे, उन अन्य अधिकारियो के मामले से कम घटिया नही है जिन्हे तमिलनाडु राज्य द्वारा अतिकाल वेतनमान का समान लाभ दिया गया था, जिसका विवरण प्रचुर मात्रा में रिट याचिका मे दिया गया है। पूर्वोक्त कारणो पर, हम परिनिन्दा के दण्ड, संयुक्त जाँच समिति द्वारा किये गये मूल्यंाकन, इसे अतिकाल वेतनमान देने से इंकार करने तथा अपीलार्थी के अपील को नामंजूर करने मे राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेशो को अभिखंडित करते है तथा हम आगे निम्नवत निदेश देते है:-

मामले के विशेष तथा अनूठे परिस्थितियो मे, हम प्रत्यर्थीगण को उस तिथि से जब से अपीलार्थी के कनिष्ठ श्री पी. कंदास्वामी को अतिकाल वेतनमान दिया गया था अतिकाल वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को देने का निदेश देते है। तद्नुसार प्रत्यर्थीगण को इस आदेश को प्राप्त करने के आठ सप्ताह के अन्दर इस निमित्त आदेश पारित करने तथा इसे सभी पारिणामिक लाभो, इसके आनुषांगिको को देने का निदेश दिया जाता है। उक्त लाभ इसके पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभो मे भी

दिया जायेगा। इसे ब्यौरेवार तैयार किया जाएगा तथा इसे उपरोक्त समय मे संदत्त किया जाएगा।''

इस पर भरोसा करते हुए तथा यह बताते हुए कि वर्तमान अपीलार्थी- हरिवंश लाल समान रूप से श्री बद्रीनाथ जैसे स्थान पर है ने राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे अपने बने रहने के लिए समान निदेश का अनुरोध किया था। यद्यपि, लो0 हि0 मु0 मे, रिट याची ने श्री लाल की उम्र को 90 वर्ष बताया है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है तथा स्वयं श्री लाल ने शपथ पत्र पर शपथ लिया था तथा प्राख्यान किया था एवं राज्य द्वारा खण्डन नही किया गया है कि आज की तिथि मे 84 वर्ष की उम्र का है तथा इसके अनुसार वह भला चंगा तथा स्वस्थ है। हमने पहले ही राज्य विद्युत बोर्ड मे सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप मे दिये गये इसके सेवा तथा अर्हता के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के आधार को दोहराया है। यह किसी का मामला नही है कि इसकी नियुक्ति किन्ही कानूनी प्रावधानो के प्रतिकूल नही है। वास्तव मे यह बताया गया कि इसकी नियुक्ति अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानो के अनुसार था। यह भी बताया गया है कि यद्यपि वह उस तिथि तक अध्यक्ष के रूप मे बना था जब इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया था तथा 01.05.2009 को इसके बने रहने का भी निदेश दिया था, तथ्य यह है कि वह पद पर बना नही रह सका था तथा राज्य सरकार ने एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया था। यह बताना सुसंगत है कि वर्तमान पदधारी श्री शिव बसंत से संबंधित नियुक्ति आदेश मे, राज्य सरकार ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इसकी नियुक्ति हरिवंश लाल द्वारा दाखिल अपील के परिणाम के अधीन है। इन सभी सुसंगत कारको तथा इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि सर्वसम्मति से, अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु नियमो मे कोई उम्र सीमा विहित नही है तथा अपीलार्थी द्वारा दिये गये उत्तम सेवा तथा अर्हता के बारे मे राज्य सरकार के आधार के संबंध मे भी, हम महसूस करते है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अभिखंडित किये जाने की दशा मे, इसे विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

26. उपरोक्त विवेचना के आलोक मे, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को तत्काल पद भार सभालने तथा इसके नियुक्ति आदेश के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है। हम यह स्पष्ट करते है कि अध्यक्ष के पद पर इसका बने रहना सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन है, फिर भी, यह अधिनियम की धारा 5 (5) तथा नियमावली के नियम 4 के अनुसार होगा।

27. उपरोक्त निदेश के साथ अपील को अनुज्ञात किया जाता है। कोई खर्च नही।

<u>यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>